

01

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21.11.2020

थाना लोटन जनपद सिद्धार्थनगर से 01 अभियुक्त को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में व श्री प्रदीप कुमार यादव क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल निर्देशन व थानाध्यक्ष मोहाना श्री राम अशीष यादव के नेतृत्व में आज दिनांक 21.11.2020 को संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत 01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया ।

02

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21.11.2020

एण्टी रोमियो स्क्वाड द्वारा मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत आज छठ के त्यौहार पर की गयी कार्यवाही में 21 शोहदे पकड़े गये ।

जनपद सिद्धार्थनगर में गठित एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम और जनपद के सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ वाले इलाके और पार्क आदि स्थानों पर पाए गए 21 मनचलों एवं शोहदों पर कार्यवाही की गयी ।

माननीय मुख्यमंत्री उ.प्र. सरकार द्वारा मिशन शक्ति नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन के सम्बन्ध में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुक्रम में श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण में आज दिनांक 21.11.2020 को प्रभारी एण्टी रोमियो महिला उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा समस्त थानो की एन्टी रोमियो टीमों द्वारा एण्टी रोमियो कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास, पार्क तथा मुख्य सड़को, चौराहों आदि पर चेकिंग की गयी। इस दौरान 21 शोहदे पकड़े गये । शोहदो द्वारा माफी मांगने पर भविष्य में पुनरावृत्ति ना करने की हिदायत देने के बाद छोड़ा गया ।

जनपद के विभिन्न कस्बों और गावो तथा विद्यालयो मे जागरूकता अभियान चलाया गया । जिसके अंतर्गत आज राजकीय बालिका इंटर कॉलेज तेतरी बाजार में झासी की रानी लक्ष्मी बाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें प्रभारी एन्टी रोमियो उ0नि0 श्रीमती संध्या रानी तिवारी तथा प्रभारी महिला थाना बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई तथा वहा उपस्थित छात्राओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आशा संगिनी आदि को महिला सुरक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी दी गई और जनपद में सभी थानो पर गठित टीमों द्वारा विभिन्न संस्थानों और सार्वजनिक स्थलों पर अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया जिसके अंतर्गत नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलम्बन में मिशन शक्ति के तहत आपस में एक दूसरे से वार्तालाप किया गया और नारी सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा चलाये जा रहे सेवाएं जैसे 1090 वीमेन पॉवर हेल्पलाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन, 102 स्वास्थ्य सेवा, 108 एम्बुलेंस सेवा और यातायात नियमों के सम्बन्ध जानकारी दी गयी ।

एण्टी रोमियो टीम का विवरण-

- 01- महिला उ0नि0 श्रीमती संध्यारानी तिवारी प्रभारी एण्टी रोमियो जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 02- आरक्षी रामविलास एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 03- आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 04- महिला आरक्षी अमिता पटेल एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 05- महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।
- 06- विभिन्न थानो पर गठित एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर ।

03

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा माह नवम्बर को यातायात माह के रूप में मनाये जाने के परिपेक्ष्य में दिये गए दिशा-निर्देश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण व श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ के निर्देशन में तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक डेबरूआ द्वारा आज दिनांक 21.11.2020 को डॉ. जाकिर हुसैन पब्लिक स्कूल औरहवा थाना डेबरूआ में विद्यालय के प्रबंधक और प्रधानाचार्य तथा शिक्षक गण की उपस्थिति में छात्र एवं छात्राओं को संयुक्त रूप से यातायात के बारे में जागरूक किया गया तथा इसके विषय में नियमों और स्थापित विधियों के विषय में विस्तार से बताया गया । यातायात नियम के अनुपालन की आवश्यकताओं और इसकी अनदेखी करने से होने वाली हानियों के विषय में छात्र छात्राओं को विस्तृत रूप से अवगत कराया गया । माह नवंबर को यातायात माह के रूप में मनाए जाने के पीछे के तार्किक कारणों और इसी संदर्भ में सड़क सुरक्षा सप्ताह के विषय में भी उन्हें विधिवत अवगत कराया गया। इसके साथ ही बृहद रूप से संचालित किए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के बारे में भी बालक एवं बालिकाओं को सचेष्ट किया गया ।

04

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21.11.2020

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा आबकारी से सम्बंधित अपराधों की रोकथाम के परिपेक्ष्य में दिये गए दिशा निर्देश के अन्तर्गत श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में श्री राणा महेंद्र प्रताप सिंह, क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़ द्वारा श्री अजय सिंह, आबकारी निरीक्षक, तहसीलदार सिंह, प्रभारी निरीक्षक ढेबरूआ और श्री हरि नारायण दीक्षित, प्रभारी चौकी बढनी को साथ लेकर बढनी क्षेत्र की बियर की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान, और देशी शराब की दुकानों की आकस्मिक रूप से पहुंचकर गहनता से चेकिंग की गई। कहीं पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं पाई गई।

05

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य दिनांक 21.11.2020

आज दिनांक 21 नवंबर 2020 को जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के द्वारा गठित टीम द्वारा इटवा तहसील में देसी शराब दुकान इटवा, विदेशी शराब इटवा, इटवा मॉडल्स शॉप, देसी शराब दुकान महादेव गुरुहू विदेशी महादेव घुरहू आदि दुकानों पर मानक के अनुरूप निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शराब की गत्तों को आबकारी एप से स्कैन किया गया तथा गत्तों के अंदर रखे गए बोतलों को भी एप के माध्यम से स्कैन किया गया दुकान में उपस्थित शराब का दुकान के स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया गया। इसके अतिरिक्त दुकान पर उपस्थित विक्रेता/ लाइसेंस धारी को सख्त निर्देश दिया गया कि दुकान को नियमानुसार संचालित करें किसी प्रकार की कोई अनियमितता पाई गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के निरीक्षण के उपरांत थाना मिश्रौलिया अंतर्गत ग्राम जोकैला में अवैध कच्ची शराब बनाने वालों के घर पर छापेमारी की गई जहां पर विभिन्न जगहों पर जमीन में अंदर रखे गए लगभग 500 केजी महुआ लहन बरामद कर के मौके पर नष्ट किया गया दबिश की सूचना पाकर गांव से ज्यादातर लोग फरार हो गए और कोई भी अवैध कच्ची शराब की बरामदगी नहीं हुई। थाना इटवा व मिश्रौलिया अंतर्गत आबकारी दुकानों के सघन निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी इटवा, क्षेत्राधिकारी इटवा, आबकारी निरीक्षक इटवा, थाना प्रभारी इटवा के साथ आबकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। थाना अंतर्गत मिश्रौलिया के गांव जोकैला, कंकटी आदि में अवैध कच्ची शराब के खिलाफ छापेमारी में थाना प्रभारी मिश्रौलिया, चौकी प्रभारी चेतिया आदि मौजूद रहे।

प्रेस नोट दिनांक 21.11.2020 थाना को0 सिद्धार्थनगर जनपद सिद्धार्थनगर

दिनांक 21/11/2020 को अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम हेतु श्री राम अभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी नौगढ़, क्षेत्राधिकारी सदर श्री प्रदीप कुमार यादव, आबकारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार शर्मा आबकारी निरीक्षक सदर व थाना सिद्धार्थनगर के पुलिस टीम के साथ संयुक्त रूप से थाना क्षेत्र के अंग्रेजी शराब व देशी शराब की दुकानों व माडल शॉप का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान शराब के गत्तो, बोतलो, शीशियों को स्कैन कर मूल की जानकारी की गयी, चेकिंग के दौरान सब कुछ ठीक ठाक पाया गया।

प्रेस नोट दिनांक 21.11.2020 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर

रोड दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत जेपी मिश्रा इंटर कॉलेज मदवा में बच्चों को यातायात नियमों को बताकर किया गया जागरूक

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा यातायात नियमों के सम्बन्ध जागरूकता अभियान के क्रम में श्री मायाराम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा, क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के कुशल निर्देशन में आज श्री रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर द्वारा जेपी मिश्रा इंटर कॉलेज मदवा में यातायात जागरूकता /नारी शक्ति अभियान के क्रम में युवाओं को रोड दुर्घटनाओं को रोकने के दृष्टिगत यातायात नियमों को बताकर वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने व यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 21.11.2020 थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर
अवैध शराब के निर्माण/बिक्री व तस्करी के दृष्टिगत कार्यवाही करते हुए दो अभियोग पंजीकृत

श्री रामअभिलाष त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर द्वारा “ अवैध शराब की बिक्री/तस्करी की रोकथाम ” के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व श्री माया राम वर्मा अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर व श्री उमेश शर्मा क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज के पर्यवेक्षण/निर्देशन में श्री रणधीर कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक थाना त्रिलोकपुर जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा चिताही,पेडरियाजीत,सिसई,देवियापुर,दलपतपुर,वेलवा,विजौरा में स्थित सरकारी ठेके की अंग्रेजी/देशी/वियर की दुकानों को गहनता से चेक किया गया तथा चेकिंग में अवैध रूप से शराब लेकर बिक्री करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 229/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 व मु0अ0सं0 230/2020 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

प्रेस नोट दिनांक 21.11.2020 थाना कपिलवस्तु
अवैध 20-20 शीशी नेपाली शराब के साथ तीन व्यक्ति गिरफ्तार

श्री राम अभिलाष त्रिपाठी , पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम मे अवैध शराब विक्री, निष्कर्षण व रोकथाम तस्करी के संबंध मे चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्री मायाराम वर्मा, अ.पु.अ. सिद्धार्थनगर के दिशा निर्देश पुलिस उपाधीक्षक, सदर श्री प्रदीप कुमार यादव के कुशल पर्यवेक्षण, श्री महेश सिंह, थानाध्यक्ष कोतवाली कपिलवस्तु के कुशल नेतृत्व मे आज दि. 21.11.20 को समय 18:45 बजे थाना कपिलवस्तु पुलिस द्वारा तीन व्यक्तियों को 20-20 शीशी नेपाली नाजायज़ शराब के साथ पानी टंकी के पास से गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तारी बरामदगी का विवरण

अभियुक्त -

- 1- अम्बिका मौर्या पुत्र बाबूराम सा.सेमरी थाना मोहाना सिद्धार्थनगर।
- 2-रामसेवक यादव पुत्र नंदलाल यादव सा. अलीगादवा सिद्धार्थनगर।
- 3-रमेश जायसवाल पुत्र विनोद जायसवाल सा. वर्ड पुर न. 09 थाना मोहाना सिद्धार्थनगर।

बरामदगी का विवरण-

- 1- 20-20 शीशी नेपाली नाजायज़ शराब

पुलिस टीम का विवरण -

- 1- श्री किशोरीलाल चौधरी , उ. नि. थाना कपिलवस्तु।
- 2-हे. का.गुलाब शाही
- 3-का.हरिशंकर पासवान
- 4-का. दिलीप कुमार